राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
NCBC/08/06/751/2021-RW
पीजीआईएमईआर के साथ दिनांक 16.11.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण -:

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
3. श्री यू. माथुर, रजिस्ट्रार, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
4. श्री सोम नाथ राणे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (I), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
5. श्री राणा प्रीतपाल सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (V), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
6. डॉ. आर.पी.एस भोगल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (H), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
7. श्री राकेश सिंह, प्रशासी अधिकारी,(NF), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
8. श्री महेंद्र सिंह, फैकल्टी(स्था), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

सुनवाई का विस्तृत विवरण-:

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि संपर्क अधिकारी, आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को दिखाएं। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि अभी हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि संपर्क अधिकारी का ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या स्टेट गवर्मेंट के लिए है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेट गवर्मेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराया गया है।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि शपथ-पत्र पर लिखकर आयोग को उपलब्ध कराएं की स्टेट गवर्मेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग में उपलब्ध कराया है।
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि संपर्क अधिकारी कि नियुक्ति कब की गई है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019 में हमारी नियुक्ति हुई है।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि पीजीआईएमईआर द्वारा बताया गया है कि दिनांक 08.09.1993 को ग्रुप ए में सैंक्शन पोस्ट यू आर के लिए 87 है, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4, और ओबीसी के लिए 4 है। तो ओबीसी के लिए 4 पोस्ट किस नियम के अनुसार जस्टिफाई किया गया है। इस संदर्भ में पीजीआईएमईआर के अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि संपर्क अधिकारी का कार्य क्या क्या होता है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की समय से रोस्टर पॉइंट वाइज चेक करना तथा रोस्टर में कोई भी प्वाइंट में चूक नहीं होना चाहिय।

7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि ग्रुप सी और डी में किस प्रकार से आरक्षण देते हैं। इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (I), पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया की जो नियम है 27% आरक्षण देने का उसी प्रकार से आरक्षण देते है।

8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि कुल सैंक्शन पोस्ट 1362 है तो ओबीसी का 47 पोस्ट क्यों है। इस संबंध में पीजीआईएमईआर के अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि आपने प्रश्नों के जवाब में बताया है की 1999 में टीचिंग में रिजर्वेशन लागू था। तो आप एक शपथ-पत्र में लिखकर आयोग को उपलब्ध कराएं की 1999 में टीचिंग में रिजर्वेशन लागू था।

10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि एमडीएमएस जुलाई 2020 में 183 सीट थी, जिसमें 15 से 20 तक एक भी ओबीसी नहीं है, तो 183 सीट में कुल कितनी ओबीसी की सीट होनी चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (I), पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया की इसमें कुल 3 साल का पोस्ट होता है, उदाहरण के अनुसार बता रहे है सर, जिसमें कुल पोस्ट 658 है। जैसे जुलाई में शेसन चालू होती है। उसको दो अलग भागों में विभाजित कर देते है, तो 3 वर्ष में इन सभी को मिलाकर कुल 658 पोस्ट होनी चाहिए। उस हिसाब से इसको किया हुआ है।

11. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि एसोसिएट प्रोफेसर को आरक्षण कब से देना शुरू किया है। इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (I), पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया की वर्ष 1993 से आरक्षण दे रहे हैं।'

12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि एमडीएमएस की 3 साल का ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग के समक्ष उपलब्ध कराएं। इस संबंध में रजिस्ट्रार, पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि एमडीएमएस की 3 वर्ष की ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग के समक्ष उपलब्ध करवा देंगे।

13. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि भारत सरकार का वह नियम बताएं जिसमें ओबीसी की जगह दूसरे कैटेगरी की नियुक्ति हो सकती है। इस संबंध में फैकल्टी(स्था), पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि आरक्षित पद पर अनारक्षित पद की नियुक्ति नहीं हो सकती है, अगर एक वैकेंसी है तो उसको 50%

सेलिंग के अनारक्षित पद के तौर पर विज्ञापन निकाला जाता है आरक्षण खत्म नहीं होता है वह कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।

14. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि कन्ट्रैक्चूअल अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसका रोस्टर रजिस्टर आयोग के समक्ष उपलब्ध कराएं। इस संबंध में फैकल्टी(स्था), पीजीआईएमईआर द्वारा अवगत कराया गया कि कन्ट्रैक्चूअल अपॉइंटमेंट का रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध करवा देंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि सिलेक्शन कमिटी की रिपोर्ट आयोग के समक्ष उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त सभी जानकारी आयोग को 07 कार्यदिवस के अंदर उपलब्ध कराएं।

(श्री महेंद्र सिंह)
फैकल्टी(स्था), पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

(श्री राकेश सिंह)
प्रशासी अधिकारी,(NF), पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

(डॉ. आर.पी.एस भोगल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (H), पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

(श्री राणा प्रीतपाल सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (V),
पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

(श्री सोम नाथ राणे)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (I), पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

(श्री यू. माथुर)
रजिस्ट्रार, पीजीआईएमईआर,
चंडीगढ़

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग